

क्रमांक:- एफ.2(7866) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 19 / 00232 जयपुर, दिनांक 11/01/2021
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र. सं.	ऑफिस नं. / सेवा नं.	नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	पदस्थान विभाग	परीक्षा का नाम
1	280925	आसिफ खान	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	Assistant Acharya comp. exam-2021(RPSC)
2	1550	चन्दन सेनी	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), टोक	ACF & FOREST RANGE OFFICER COMP. EXAM-2020(RPSC)
3	230405	अशोक शर्मा	कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर	Assistant Acharya(Hindi) Comp. Exam-2021(RPSC)
4	646	अजय कुमावत	कार्यालय तहसीलदार, बिलाडा, जोधपुर	Assistant Acharya(Hindi) Comp. Exam-2021(RPSC)

उपर्युक्त सूचना सहायकों को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है:-


1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कार्मिक
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।



(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)